न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील/सिलिंग/1958/2005/भीलवाड़ा

1– भंवरसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत,
2– लक्ष्मणसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत,
3– डूंगरसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत,
4– मु0 गोपाल कंवर बेवा गोपालसिंह जाति राजपूत निवासीगण करोई तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5– मु0 सुप्यार कंवर पुत्री गोपालसिंह पत्नि नन्द भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी लसाड़िया जिला टोंक।
6– मु0 प्रकाश कंवर पुत्री गोपालसिंह पत्नि भंवरसिंह चौहान निवासी सल्यावाड़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7– मु0 लाड़कंवर पुत्री मोहनसिंह पत्नि भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी बामणिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
8– मु0 जीवनकंवर पुत्री मोहनसिंह पत्नि तेजसिंह जाति राजपूत निवासी बाणियास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
9– मु0 विष्णुकंवर पुत्री मोहनसिंह जाति राजपूत पत्नि भंवरसिंह निवासी झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

---------- अपीलांटस

बनाम

1– कानसिंह मुतबन्ना गोवर्धनसिंह जाति राजपूत, निवासी कारोई, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2– राजस्थान सरकार

--------- रैस्पोर्डेंटस

(2) अपील/सिलिंग/2304/2005/भीलवाड़ा

1– भंवरसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत,
2– लक्ष्मणसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत,
3– डूंगरसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत,
4– मु0 गोपाल कंवर बेवा गोपालसिंह जाति राजपूत निवासीगण करोई तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5– मु0 सुप्यार कंवर पुत्री गोपालसिंह पत्नि नन्द भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी लसाड़िया जिला टोंक।
6– मु0 प्रकाश कंवर पुत्री गोपालसिंह पत्नि भंवरसिंह चौहान निवासी सल्यावाड़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7– मु0 लाड़कंवर पुत्री मोहनसिंह पत्नि भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी बामणिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
8– मु0 जीवनकंवर पुत्री मोहनसिंह पत्नि तेजसिंह जाति राजपूत निवासी बाणियास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
9– मु0 विष्णुकंवर पुत्री मोहनसिंह जाति राजपूत पत्नि भंवरसिंह निवासी झांतल तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

---------- अपीलांटस

(1) अपील/सिलिंग/1958/2005/भीलवाड़ा
(2) अपील/सिलिंग/2304/2005/भीलवाड़ा

बनाम

1– कानसिंह मुतबन्ना गोवर्धनसिंह जाति राजपूत, निवासी कारोई, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2– राजस्थान सरकार

---------- रैस्पोडेंटस

एकलपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

दोनों में उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांट।
श्री ओ0एल0दवे अधिवक्ता रैस्पोडेंट।

निर्णय

दिनांकः– 11–2–2020

हस्तगत् दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 23(2) राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 14–03–2005 अपील सं0 23/2003 व 24/2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– चूंकि दोनों अपीलों के तथ्य, पक्षकार एवं निर्धारण योग्य बिन्दु एक समान होने व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों में एकसाथ निर्णय किये जाने के फलस्वरूप इस न्यायालय द्वारा भी दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। हस्ताक्षरित निर्णय दोनों अपीलों में संलग्न किया जावें।

3– अपीलांट सरकार द्वारा प्रस्तुत इन दोनों अपीलों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता स्व0 मोहनसिंह एवं रेस्पो0 कानसिंह दोनों सगे भाई थे। गोरधनसिंह उनके बड़े भाई थे। उनका स्वर्गवास होने पर उनके द्वारा धारित कृषि भूमि अपीलांट के पिता मोहनसिंह व रेस्पो0 सं0 1 पर बहिस्सा बराबर धारित हुई। इस प्रकरण में लिप्त आराजी बाबत् अपीलांट्स एवं रेस्पो0 सं0 1 के मध्य राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 53 व 188 के तहत दावा सं0 124/96 व 55/91 उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में विचाराधीन थे। इन दौरान गोरधनसिंह व अपीलांट के पिता द्वारा धारित कृषि भूमि बाबत प्राधिकृत अधिकारी, भीलवाड़ा ने राजस्थान कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत उनकी कृषि भूमि की सीलिंग सीमा निर्धारण किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की। प्राधिकृत अधिकारी, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय द्वारा रेस्पो0 सं0 1 की भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये। रेस्पो0 सं0 1 ने इस आदेश के तहत

अपीलांट्स की भूमि राज्य सरकार के पक्ष में सरेण्डर करना चाहा। अपीलांट्स ने प्राधिकृत अधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश से व्यथित होकर अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के यहां अपीलें प्रस्तुत की जो खारिज कर दी गई। जिसकी अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किये जाने पर मण्डल ने आदेश दिनांक 29–6–2001 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेशों को निरस्त करते हुए विवादग्रस्त भूमि बाबत् विचाराधीन वाद को निर्णित करते हुए सीलिंग कार्यवाही निर्णित करने के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी प्रकरणों को इकजाई करते हुए अपीलांट्स के पिता मोहनसिंह को खातेदार धोषित कर दिया एवं कानसिंह के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानते हुए कार्यवाही अपने आदेश दिनांक 26–3–2003 द्वारा समाप्त कर दी। रेस्पो0 सं0 1 ने प्राधिकृत अधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 26–3–2003 से व्यथित होकर अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। न्यायालय अपर कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 14–3–2005 द्वारा रेस्पो0 सं0 1 की अपील स्वीकार करते हुए प्राधिकृत अधिकारी, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 26–3–2003 को निरस्त करते हुए प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ पुनः निर्णय हेतु प्राधिकृत अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष लौटा दिया जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. दोनों अपीलों पर दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए एवं लिखित बहस में अभिकथन किया कि अपर जिला कलक्टर का निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत है। रेस्पो0 कानसिंह द्वारा अपर जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत दोनों अपीलें संधारण योग्य नहीं थी। चूंकि प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित न करते हुए उपखण्ड अधिकारी की हैसियत से पक्षकारान के मध्य विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 को निर्णित करते हुए अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 को विवादित भूमि में बहिस्सा बराबर मानते हुए खातेदारी अधिकार घोषित किये गये हैं। उपखण्ड अधिकारी का यह आदेश धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां पोषणीय थी, न कि अपर जिला कलक्टर के न्यायालय में। अपर जिला कलक्टर ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 की अपील ग्राह्य कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करने में अपने अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। उपखण्ड अधिकारी ने मण्डल के आदेश दिनांक 29–6–2001 की पालना में निर्णय पारित किया था जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। अपर जिला कलक्टर,

भीलवाड़ा को मण्डल के आदेश से परे जाकर आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट सं0 1 प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के निर्णय से व्यथित नहीं माना जा सकता क्योंकि उससे सीलिंग प्रावधानों के तहत कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुए मण्डल के निर्देशानुसार निर्णय पारित किया था किन्तु अपर जिला कलक्टर ने उक्त समस्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए उपखण्ड अधिकारी का निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित करने में कानूनी त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपर जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 14-3-2005 खारिज कर दोनों अपीलें स्वीकार की जावें।

6. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का बहस में कथन है कि उपखण्ड अधिकारी ने मण्डल के निर्देशों की सही व्याख्या नहीं की है। अपर जिला कलक्टर ने ऐसी स्थिति में प्रकरण पुनः मण्डल के निर्देशों की पालना में निर्णय हेतु लौटाया है। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय में सीलिंग नियमों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही एवं काश्तकारी अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये वाद पत्रों के बारे में एक ही निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं होने से खारिज किया गया है। काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत धारा 88, 53, 54 व 188 जिनमें की कृषि भूमि के विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा, घोषणात्मक डिक्री किये जाने के प्रावधान हैं। यह नियम अपने आपमें स्वतंत्र रूप से अलग है जबकि उपखण्ड अधिकारी ने सीलिंग अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरणों में एक ही निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपर जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः दोनों अपीलें अपीलांट खारिज की जावें। उन्होंने अपने समर्थन में 2017 (राज0) डी0एन0जे0 पेज 860 एवं 2003 ए0आई0आर0 एस0सी0 पेज 3167 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

7. दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 26-3-2003 में अंकित किया कि राजस्व मण्डल ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 11-8-1992 तथा अपर जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 28-10-1999 को निरस्त करते हुए प्राधिकृत अधिकारी को निम्न प्रेक्षण के मध्य नजर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश दिये कि "Prima facie it appears that Kansingh & Gopal singh should be dealt with on

the same footing and ---- there is need to reinvestigate the matter as to how excess land was found in case of Kansingh ----" निर्देशों की पालना में विचारण न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है।

9. विद्वान अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 14-3-2005 में अंकित किया कि अपील मीमों का निस्तारण करने के लिए सुविधा की दृष्टि से निम्न बिन्दू कायम किये जाते हैं-

(1) अपील धारा 12 (3) के तहत मेन्टेबल है या नहीं ?

(2) आया अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य काश्तकारी अधिनियमों के अन्तर्गत संस्थित वाद प्रकरण एवं अपीलार्थी के विरूद्ध विचाराधीन सीलिंग प्रकरण में संयुक्त रूप से निर्णय पारित किया जो विधि अनुकूल नहीं है।

(3) आया अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल से हुए निर्णय दिनांक 29-6-2001 में जो दिशा निर्देश दिये हैं उसके अनुरूप प्रकरणों में जांच/परीक्षण नहीं कर निर्णय प्रसारित किया गया।

10. बिन्दू सं0 1 का विवेचन करते हुए अंकित किया कि अपीलार्थी की अपील धारा 12 (3) के तहत पोषणीय है।

11. बिन्दू सं0 2 का विश्लेषण करते हुए अंकित किया कि सीलिंग नियमों के अन्तर्गत भूमिधारी के भूमि की अवधारणा होने के उपरान्त ही काश्तकारी अधिनियमों के अन्तर्गत संस्थित वाद प्रकरणों विभाजन, घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा के बारे में उनके गुणावगुणों पर प्रकाश डालते हुए स्वतंत्र रूप से अलग से निर्णय पारित किया जाना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में ऐसा नहीं किया है। बिन्दू सं0 3 का विश्लेषण करते हुए अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उनके निर्णय में जो दिशा निर्देश दिये हैं उसके अनुरूप प्रकरण में किसी प्रकार की जांच/परीक्षण किया जाना नहीं पाया जाता है।

12. विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त बिन्दुओं के विश्लेषण के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि बिन्दु सं0 1 का विवेचन अपील पोषणीय होने बाबत् उचित है।

13. बिन्दू सं0 2 के संबंध में विद्वान उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष सीलिंग प्रकरण के अतिरिक्त नियमित वाद भी विचाराधीन थे जो उभयपक्षों की सहमति से उनके समक्ष विचाराधीन समस्त प्रकरणों पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने एक साथ सुनवाई करते हुए समस्त प्रकरणों का एक साथ निस्तारण कर दिया था।

रेस्पो0 अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष इस बाबत् किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की गई कि समस्त प्रकरणों का अलग–अलग निस्तारण किया जावें बल्कि उनके द्वारा ही समस्त प्रकरणों का एक साथ निस्तारण किये जाने बाबत् सहमति दर्शाते हुए समस्त प्रकरणों में एक साथ बहस की गयी थी। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने उनके समक्ष समस्त प्रकरणों में एक साथ बहस सुनकर अपना निर्णय दिनांक 26–3–2003 पारित कर दिया था जिसके बाद रेस्पोडेन्ट द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र में भी रेस्पोडेन्ट की ओर से यह आधार नहीं लिया गया था कि पीठासीन अधिकारी ने समस्त प्रकरणों की एक साथ सुनवाई किये जाने में त्रुटि की है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र को भी आगे चलकर अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध भी रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई निगरानी आदिनांक तक पेश नहीं की गयी है। नजरसानी में पारित आदेश अंतिम हो चुका है। विद्वान अपर जिला कलक्टर को इस आधार पर आदेश अन्तर्गत अपील पारित करने का अधिकार नहीं था कि प्राधिकृत अधिकारी को समस्त प्रकरणों की सुनवाई एक साथ करने का अथवा एक ही निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं था। अतः विद्वान अपर जिला कलक्टर का बिन्दु सं0 2 का विवेचन उचित नहीं है।

14. बिन्दू सं0 3 के विश्लेषण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा अपने निर्णय में सीलिंग कार्यवाही के बारे में पक्षकारों का विवरण देते हुए समस्त विवादित भूमि, भूमि के बेचान, भूमि का सड़क व नाले में चले जाना तत्पश्चात् शेष भूमि का विवेचन करते हुए जांच कर निर्णय में निष्कर्ष अंकित किया है। साथ ही सीलिंग कार्यवाही के बारे में विचाराधीन विभाजन के दावे के बारे में भी विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय में निष्कर्ष अंकित किया है। अतः विद्वान अपर जिला कलक्टर का यह कथन उचित नहीं है कि प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा जांच/परीक्षण नहीं किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी ने राजस्व मण्डल द्वारा किये गये निर्देशों के तहत ही पूर्ण जांच/परीक्षण कर निर्णय दिनांक 26–3–2003 पारित किया है।

15. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होते हैं।

16. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्वान अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय विधिसम्मत नहीं है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत है।

17. फलस्वरुप दोनों अपीलें अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14-3-2005 अपास्त किया जाता है एवं प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26-3-2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य